राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांकः एफ-7(109)जन/11/ 19776-20136 दिनांकः 6-9-11

समस्त उप पंजीयक,
राजस्थान

विषयः- भूमि जमाबंदी के अनुसार सम्पत्ति पंचायत के नाम दर्ज होने पर उसके दस्तावेज पंजीयन के संबंध में।

प्रसंगः- उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग का पत्र क्रमांक प.2 (28)वित्त/कर/11 दिनांक 19.5.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार वित्त विभाग द्वारा इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ.7(109)जन/कार्यशाला/11/8251 दिनांक 30.3.11 में उल्लेखित विभाग के इस मत से कि ''ग्राम पंचायत के नाम दर्ज भूमि चाहे पूर्व में पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर हस्तान्तरित कर दी गई है, किन्तु वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार पंचायत के नाम दर्ज है तो ऐसी भूमि के विक्रय दस्तावेज का पंजीयन राजस्थान पंजीयन नियम-1955 के नियम-39 के तहत निषिद्ध किया गया है।

ऐसे मामलों में, यदि भूमि ग्राम पंचायत के नाम किसी त्रुटि से अंकित हुई है तो संबंधित राजस्व अधिकारी से भू-अभिलेख में संशोधन करवाया जा सकता है और तत्पश्चात् संबंधित व्यक्ति भूमि का विक्रय दस्तावेज पंजीयन करवा सकते हैं।''

अतः ऐसे मामलों में उपरोक्त उद्धरण को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज पंजीयन की कार्यवाही की जावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(109)जन/11/20137-226 दिनांकः 6-9-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
10. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
11. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. ए.सी.पी. मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर